



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

16 श्रावण 1942 (श0)  
(सं0 पटना 466) पटना, शुक्रवार, 7 अगस्त 2020

---

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

7 अगस्त 2020

एस० ओ० 145 दिनांक 7 अगस्त 2020—बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (जिसे इसके पश्चात उक्त अध्यादेश कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, 30 जून, 2020 को उस तारीख के रूप में, जिससे उक्त अध्यादेश की धारा 2 और 12 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करते हैं।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-8)-1337)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

7 अगस्त 2020

एस० ओ० 145 दिनांक 7 अगस्त 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-8)-1337)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

*The 7<sup>th</sup> August 2020*

S.O. 145 dated the 7<sup>th</sup> August 2020-- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Bihar goods and services tax (second amendment) Ordinance, 2020 (hereinafter referred to as the said Ordinance), the Governor of Bihar hereby appoints the 30<sup>th</sup> day of June, 2020, as the date on which the provisions of sections 2 and 12 of the said Ordinance, shall come into force.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-8)-1337]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

*Commissioner State Tax-cum-Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 466-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>